# म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड,

ब्लाक नं. 07, प्रथम तल, शक्तिभवन रामपुर, जबलपुर 482 008

क्रमांक/पूक्षे/मु.म.प्र./वाणिज्य/क्लेम/691 जबलपुर, दिनांक 19 /04/2018

प्रति,

अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा)/(शहर)
म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि.
..............................

विषयः म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरावर्ती कंपनियों में प्रदत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को विद्युत बिलों में दी जाने वाली छूट का सत्यापन करने की कार्यवाही।

000

विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरावर्ती कंपनियों द्वारा उनके अधिकारियों/कर्मचारियों को पात्रता अनुसार विद्युत देयकों में छूट प्रदत्त की जाती है। कर्मचारियों के स्थानांतरण, सेवा निवृत्ति इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि माह अप्रैल बिलिंग मई 2018 के विद्युत देयकों में सत्यापन उपरांत ही क्रेडिट दिया जाये।

यह उल्लेखित है कि प्रमुख (सी.एस. एंड ए.) के द्वारा बिलिंग प्रणाली में सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के विद्युत संयोजनों में उनका मोबाईल नंबर दर्ज है, आशय से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है। अतः यह उपयुक्त होगा कि विद्युत बिल ज़ारी करने के पहले ही एक घोषणा–पत्र के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियॉं प्राप्त करें जिससे कर्मचारियों/अधिकारियों को भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और नियमानुसार दी जानी वाली छूट और दावों में किसी भी प्रकार की विसंगति न हो। माह अप्रैल बिलिंग मई 2018 में प्रमुख (सी.एस. एंड ए.) द्वारा दोनों बिलिंग सिस्टम में कर्मचारियों/अधिकारियों को दी जाने वाली क्रेडिट बंद कर दी जावेगी जिसे संबंधित मैदानी कार्यालयों द्वारा सत्यापन उपरांत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदत्त की जावेगी।

पुनः से लेख है कि निर्देशों का पालन तत्परता से सुनिश्चित करें।

संलग्न – घोषणा–पत्र।

मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य)

प्रतिलिपिः

01. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा) म.प्र.पूर्व क्षेत्र/पॉवर जनरेटिंग/पॉवर ट्रांसमिशन/पॉवर मैनेजमेंट, कंपनी लिमि., जबलपुर।
02. प्रमुख (सी.एस. एंड ए.) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।
03. मुख्य अभियंता (ज.क्षे./सा.क्षे./री.क्षे.) म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वि.कं.लि. जबलपुर/सागर /रीवा।
04. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पूर्व क्षेत्र/पॉवर जनरेटिंग/पॉवर ट्रांसमिशन/पॉवर मैनेजमेंट, कंपनी लिमि., जबलपुर।
05. प्रमुख (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर।

# घोषणा पत्र

प्रति,

सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता

........................................

म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि..........

विषयः विभागीय कर्मचारियों की आवश्यक जानकारी बाबत्।

000

मेरे द्वारा आपके वितरण केन्द्र में विद्युत उपभोक्ता कमांक .......................................... IVRS ..............................विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया है जिसमें नियमानुसार छूट प्राप्त की जा रही है। मेरा विवरण निम्नानुसार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 01. | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | :—.......................................................... |
| 02. | पिता/पति का नाम | :—.......................................................... |
| 03. | वर्तमान पद एवं श्रेणी | :—.......................................................... |
| 04. | कर्मचारी कमांक | :—.......................................................... |
| 05. | वर्तमान स्थिति | :— कार्यरत/सेवा निवृत्त |
| 06. | सेवा निवृत्त की तिथि | :—.......................................................... |
| 07. | वर्तमान नियोक्ता का पूर्ण पता | :—.......................................................... |
| 08. | विगत 3 वर्षो से नियोक्ता का पूर्ण पता (जहां कार्यरत थे/हैं | :—.......................................................... |
| 09. | परिसर का पूर्ण पता | :—.......................................................... |
| 10. | सर्विस कमांक | :—.......................................................... |
| 11. | पोल कमांक | :—.......................................................... |
| 12. | फोन कमांक | :—.......................................................... |

मैं.......................................................... आत्मज.................................... घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दिये गये कनेक्शन में ही अधिकारी/कर्मचारी छूट प्राप्त की जा रही है इसके अलावा और दूसरे कनेक्शन पर छूट नहीं ली जा रही है। उक्त सभी विवरण मेरे द्वारा सही एवं पूर्ण भरे गये हैं।

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर